भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3624

(जिसका उत्तर 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है)

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना

3624 श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

श्री गिरीश चन्द्रः

श्री श्याम सिंह यादवः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में अनेक संगठनों द्वारा किए गए प्रबल विरोध के मद्देनजर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जी नहीं, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनकी भर्ती दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद की गई है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने बढ़ते और अवहनीय पेंशन बिलों की वजह से निर्धारित लाभ के स्थान पर उपयोगानुसार भुगतान करने की पेंशन योजना, निर्धारित अंशदान पेंशन योजना, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कहा गया है, को अपनाने का सुविचारित निर्णय लिया है। इस परिवर्तन से सरकार को सीमित संसाधनों का प्रयोग अधिक लाभकारी और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय विकास के लिए करने में सहायता प्राप्त हुई है।

****